उद्योग संचालनालय

मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्य उद्योग और रोज़गार विभाग

क्रमांक 18 / मुमंयुस्वयो / 5(3–ब) / 2014 / 6754-6806 भोपाल, दिनांक 8.8.2014

प्रति,

महाप्रबंधक,
जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र,
____
मध्यप्रदेश।

विषय :– मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, रानी दुर्गावती अजा/अजजा स्वरोजगार योजना एवं दीन दयाल रोजगार योजना के अंतर्गत दिनांक 31.07.2014 तक स्वीकृत प्रकरणों में ऋण वितरण की कार्यवाही बावत ।

संदर्भः– (1) म.प्र. शासन, प्रमुख सचिव, वा.उ. और रो. विभाग का अर्द्ध शासकीय.पत्र क्रमांक 6597–6647 दिनांक 30.07.2014, (2) म.प्र. शासन, वा.उ. और रो. विभाग का पत्र क्रमांक 1702/आर–1514/अ–ग्यारह, दिनांक 30.07.2014 एवं (3) म.प्र. शासन, वा.उ. और रो. विभाग का पत्र क्रमांक एफ 2–6/2014/अ–ग्यारह, दिनांक 21.07.2014।

–0–

जैसा कि आपको विदित है कि शासन द्वारा संदर्भित पत्रों के माध्यम से विभाग द्वारा संचालित वर्तमान योजनाएं – मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, रानी दुर्गावती अजा/अजजा स्वरोजगार योजना एवं दीन दयाल रोजगार योजनाओं का युक्तियुक्तकरण किया जाकर 2 नवीन योजनाएं मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना एवं मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना दिनांक 01.08.2014 से प्रतिस्थापित किया गया था। नवीन योजनाओं के संबंध में मार्गदर्शिका एवं लक्ष्य आपको संदर्भित पत्र के द्वारा प्रेषित किये जा चुके हैं।

नवीन योजनाएं लागू होने के मद्देनजर, पुरानी तीनों योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2013–14 एवं वित्तीय वर्ष 2014–15 तक स्वीकृत बल्कि अवितरित प्रकरणों के निराकरण के संबंध में निम्नानुसार निर्देश दिये जाते हैं :

1. दिनांक 31.07.2014 के पूर्व स्वीकृत बल्कि अवितरित प्रकरणों के वितरण की समय–सीमा दिनांक 30.09.2014 होगी ।
2. इन प्रकरणों का वितरण पुरानी योजनाओं की मार्गदर्शिका के आधार से होगा।
3. दिनांक 31.07.2014 के पश्चात कोई भी प्रकरण पुरानी योजनाओं की मार्गदर्शिका के मुताविक स्वीकृत अथवा वितरित नहीं होगा ।

कृपया इन निर्देशों को जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति (डीएलसीसी) के माध्यम से समस्त बैंकों को अवगत कराते हुये उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

(व्ही. एल. कान्ता राव) 8/8
उद्योग आयुक्त

क्रमांक 18 / मुमंयुस्वयो / 5(3–ब) / 2014 / 6807-875 भोपाल, दिनांक 08.08.2014

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1 प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल।
2 आयुक्त, संस्थागत वित्त, विंध्याचल भवन, भोपाल ।
3 संभागीय आयुक्त, ... संभाग,.................
4 जिलाध्यक्ष, जिला..............
5 अपर / संयुक्त संचालक उद्योग, परिक्षेत्रीय उद्योग कार्यालय,.....................

(व्ही. एल. कान्ता राव) 8/8
उद्योग आयुक्त